न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 01/2018

अनवान :–

1. नसीबकौर उर्फ भूरेन्द्रकौर धर्मपत्नि मखनसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायला

बनाम्

1. सांकेत पुत्र सुरेशचन्द्र जाति महाजन साकिन भुकरका तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अभिभाषक, सायला
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी जरई खाता संख्या 49/40 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 2 बीकेके भूमि की सायला खातेदार काश्तकार है।

आराजी जरई खाता संख्या 121/110 की कुल 5.2880हैक्ट रोही मौजा चक 2 बीकेके की भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है

सायला को अपने खेत में जाने के लिये अपने गांव ढाणी सिखान से पक्की सडक चलकर जो भदरकाली मन्दिर की तरफ जाती है है से चलकर आने पप सायला के खेत का सबसे सुविधाजनक नजदीकी रास्ता गैरसयल के प0न0 304/427 (14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किराने से सडक से पूर्व से पश्चिम तरफ चलने पर सायला अपने खेत के प0न0 304/427 (14) के किला न0 22 में प्रवेश कर जाती है जो सुविधाजनक व नजदीकी है

सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0व0न0 304/427(14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम सुविधाजनक व नजदीकी है जिससे सायला को पक्की सडक से चलकर जाने के बाद गैरसायल की उक्त किलों में से होकर अपने खेत में प्रवेश कर जाती है जो सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये आवश्यक है सायला उक्त रास्ता के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि जो भी उचित गैरसायल को देने के लिये तैयार है।

सायला ने गैरसायल को कई [illegible] की सायला के खेत प0न0 304/427(14) किला न0 22 में [illegible] (14) 23 ता 25 में से 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवा लेवे तो कुछ दिनों त[illegible] तो आजकल आजक[illegible] रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:59 IST
Reason: SelfAttested

..1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 बीकेके के प0न0 304/427(14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किनारे से पूर्वी से पश्चिम एक एक बिश्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसयाल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायला न्यायालय से रास्ता की मांग की जा रही है सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो बिना किसी विघ्न बाधा के चालू है एवं आवागमन हो रहा है सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0न0 304/427(14) के किला न0 12 जो सायला का है के उतरी व पश्चिम कोने पर उतर में गैरसायल का किला न0 9 है जिसके उतर दिशा में माईनर है तथा इस माईनर के दक्षिण दिशा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो आज भी चालू है व मंजूर है तथा उक्त रास्ता से दक्षिण की तरफ करबी 1/2 बीधा दुरी के पश्चात स्वय सायला की कृषि भूमि है उक्त रास्ता से ही सायला अपने खेत में प्रवेश करती आ रही है जो नजदीकी पडता है

सायला ने गैरसायल के विरूद्व यह प्रार्थना – पत्र दुर्भावना पूर्ण इरादे से पेश किया है तथा न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आई है इसलिये न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है किसी भी काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध हो तो उस काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उसी रास्ता से प्रथम दृष्टया सुखाधिकार हासिल होता है विनिर्दिष्ट अनुतो ा की धारा 41(ज) के तहत वैकल्पिक उपचार ही उपलब्ध है इसलिये सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है बल्कि खारिज योग्य है सायला का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली गई जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की आराजी जरई खाता संख्या 49/40 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि रोही मौजा चक 2 बीकेके भूमि की सायला खातेदार काश्तकार है।

आराजी जरई खाता संख्या 121/110 की कुल 5.2880हैक्‍ रोही मौजा चक 2 बीकेके की भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है

सायला को अपने खेत में जाने के लिये अपने गांव ढाणी सिखान से पक्की सडक चलकर जो भदरकाली मन्दिर की तरफ जाती है से चलकर आने पप सायला के खेत का सबसे सुविधाजनक नजदीकी रास्ता गैरसायल के प0न0 304/427 (14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किराने से सडक से पूर्व से पश्चिम तरफ चलने पर सायला अपने खेत के प0न0 304/427 (14) के किला न0 22 में प्रवेश कर जाती है जो सुविधाजनक व नजदीकी है

..2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0वन0 304/427(14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम सुविधाजनक व नजदीकी है जिससे सायला को पक्की सडक से चलकर जाने के बाद गैरसायल की उक्त किलों में से होकर अपने खेत में प्रवेश कर जाती है जो सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये आवश्यक है सायला उक्त रास्ता के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि जो भी उचित गैरसायल को देने के लिये तैयार है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 बीकेके के प0न0 304/427(14) किला न0 23 ,24 ,25 के दक्षिणी किनारे से पूर्वी से पश्चिम एक एक बिश्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला न्यायालय से रास्ता की मांग की जा रही है सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो बिना किसी विध्न बाधा के चालू है एवं आवागमन हो रहा है सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0न0 304/427(14) के किला न0 12 जो सायला का है के उतरी व पश्चिम कोने पर उतर में गैरसायल का किला न0 9 है जिसके उतर दिशा में माईनर है तथा इस माईनर के दक्षिण दिशा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो आज भी चालू है व मंजूर है तथा उक्त रास्ता से दक्षिण की तरफ करबी 1/2 बीधा दुरी के पश्चात स्वय सायला की कृषि भूमि है उक्त रास्ता से ही सायला अपने खेत में प्रवेश करती आ रही है जो नजदीकी पडता है।

सायला ने गैरसायल के विरूद्व यह प्रार्थना – पत्र दुर्भावना पूर्ण इरादे से पेश किया है तथा न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आई है इसलिये न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है किसी भी काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध हो तो उस काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उसी रास्ता से प्रथम दृष्टया सुखाधिकार हासिल होता है विनिर्दिष्ट अनुतो ा की धारा 41(ज) के तहत वैकल्पिक उपचार ही उपलब्ध है इसलिये सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है बल्कि खारिज योग्य है सायला का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार

रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 49/40 की 1.2650हैक भूमि की सायला खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 121/110 की कुल 5.2880हैक भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है जो [illegible] से साबित है।

सायला के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गैरसायल की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 2 बीकेके के प0न0 304/327 (14) के किला न0 23 ,24

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,35 के दक्षिणी किनारे से पूर्वी से पश्चिम एक एक बिस्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है

गैरसायल ने सायला के कथनों को विरोध करतें हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो बिना किसी विध्न बाधा के चालू है एवं आवागमन हो रहा है सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0न0 304/427(14) के किला न0 12 जो सायला का है के उतरी व पश्चिम कोने पर उतर में गैरसायल का किला न0 9 है जिसके उतर दिशा में माईनर है तथा इस माईनर के दक्षिण दिशा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो आज भी चालू है व मंजूर है तथा उक्त रास्ता से दक्षिण की तरफ करबी 1/2 बीधा दुरी के पश्चात स्वय सायला की कृषि भूमि है उक्त रास्ता से ही सायला अपने खेत में प्रवेश करती आ रही है जो नजदीकी पडता है इसप्रकार सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये जब पूर्व मे ही रास्ता उपलब्ध है इसलिये सायला गैरसायल की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नही है सायला ने जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वह गैरसायल की भूमि के बीच में से चाहा जा रहा है जिससे गैरसायल के खते के दो टुकडे हो जाते है जिससे गैरसायल के हकों को हनन होता है सायला गैरसायल की भूमि के किला न0 23 ,24 ,25 में रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी नही है सायला को किला न0 9 में से रास्ता दिया जा सकता है।

उभयपक्षों के बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से गैरसयल का आक्षेप स्वीकार योग्य है क्योकि सायल के द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है वह गैरसायल की भूमि के बीच में से चाहा गया है जिससे गैरसायल की भूमि दो भागों में बट जाती है जिससे गैरसायल को नुकसान होता है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी के खेत मु0न0 14 के किला न0 12 के उतरी पश्चिमी कोने से उतर में अप्रार्थी का किला न0 9 है इसके उतर में बीकेके माईनर है इस माईनर के दक्षिणी पटडा पर आवागमन हेतु चालू रास्ता है किला न0 9 की पश्चिम सीमा पर उतर दक्षिणी लम्बाई में प्रार्थी का खेत आधा बीधा दूर है दूसरी तरफ प्रार्थी का किला न0 22 नोहर भद्रकाली मन्दिर की तरफ से तीन बीधा की दुरी पर है।

प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु बीकेके माईनर के दक्षिण पटडे पर चालू रास्ते से अप्रार्थी के किला न0 9 की पश्चिमी सीमा पर उतर दक्षिण लम्बाई में रास्ता से आसानी रहेगी ।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट गैरसायल के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता खेत मु0न0 14 के किला न0 12 के उतरी पश्चिमी कोने से उतर में अप्रार्थी का किला न0 9 है इसके उतर में बीकेके माईनर है इस माईनर के दक्षिणी पटडा पर आवागमन हेतु चालू रास्ता है जो सायला के लिये छोटा एवं सुविधाजनक है सायला के द्वारा गैरसायल की भूमि के बीच में से तीन किलो में रास्ता चाहा जा रहा है जो विधि विरूद्व न्यायोचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gahlwat
Date: 2024.05.22 19:14:59 IST
Reason: SelfAttested

..4

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

यह सही है कि किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ता दिया जाना चाहिये किन्तु जब पहले से रास्ता उपलब्ध अथवा छोटा रास्ता उपलब्ध हो तो अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता चाहा जा रहा है के हितों को प्रभावित किया जाकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में सायला को बीकेके माईनर के पटडे से होकर चालू रास्ता से होकर गैरसायल के किला न0 9 में से जो सायला की भूमि से मात्र 1/2 बीधा की दुरी पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो गैरसायल की भूमि के टूकडे किये जाकर तीन किलो में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। गैरसायल सायला के अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 9 मे से रास्ता देने के लिये तेयार भी है

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायला ने गैरसायल की भूमि के किला न0 23 ,24 ,25 तीन बीधा में से रास्ता चाहा गया है जो विधि विरूद्व है क्योकि सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता देने से गैरसायल की भूमि के दो टूकडे हो जाते है जिससे गैरसायल के हको का हनन होता है सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो बिना किसी विध्न बाधा के चालू है एवं आवागमन हो रहा है सायला को अपने खेत में जाने के लिये प0न0 304/427(14) के किला न0 12 जो सायला का है के उतरी व पश्चिम कोने पर उतर में गैरसायल का किला न0 9 है जिसके उतर दिशा में माईनर है तथा इस माईनर के दक्षिण दिशा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो आज भी चालू है व मंजूर है तथा उक्त रास्ता से दक्षिण की तरफ करबी 1/2 बीधा दुरी के पश्चात स्वय सायला की कृषि भूमि है उक्त रास्ता से ही सायला अपने खेत में प्रवेश करती आ रही है जो नजदीकी पडता है इसप्रकार सायला किला न0 9 में रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर बीकेके माईनर के दक्षिणी पटडे पर चालू रास्तें से गैरसायल की रोही मौजा चक 2 बीकेके के प0न0 304/427(14) किला न0 9 की पश्चिमी सीमा पर उतर से दक्षिण लम्बाई में 1/2 बीधा भूमि में 1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इस रास्ता की भूमि के बदले में सायला गैरसायल को रोही मौजा चक 2 बीकेके के मु0न0 14 के किला न0 12 में गैरसायल के चिपते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Gadhwal
Date: 2024.05.22 19:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)